File No.

2018/00087

Name :

Address :

Subject :

From : To

No. 3500

Record File

Pooja
OFFICE FILE

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर. ए. एस.)

मु0न0–220 / 2018

रामदयाल आयु 65 साल पुत्र तेजा जाति जाटव निवासी नगला मेदसिंह तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान)

.... प्रार्थी

बनाम

1– महेन्द्र कुमार तिवाडी उम्र 55 साल पुत्र अंगदराम जाति बागडी निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान)

2– लक्ष्मीनारायण उम्र 45 साल पुत्र कुन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी दूदूपुरा मजरा शेखपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान)

3–मुरारीलाल उम्र 42 साल पुत्र भूरीसिंह कौम ब्राम्हण निवासी पुराबाईखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर (राजस्थान)

.... अप्रार्थीगण

दावा– स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता

निर्णय **दिनांक** 08-04-21

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेमशंकर सिंघल एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 अप्रार्थी

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 01 व 03 में दिनांक 26.12.2018 को एक प्रार्थना पत्र आदेश व नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि आ0ख0नं0 192 / 866 रकवा 0.11 है0 वीसियों वर्षों से कृषि उपज के काम नहीं आ रहा है तथा इसके आस–पास वीसियों वर्षों पूर्व आबादी बस चुकी है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूखण्ड अकृषि उपयोग हेतु रिजर्व है। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई ... सरा नम्बर 191 रकवा 0.14 से 1 / 3 हिस्सा में 2 / 3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ... ... तिवादी संख्या–3 के कब्जे व खातेदारी की भूमि रही है। जिसका कनवर्जन ... 999 को कराया जाकर तभी निर्माण कर लिया गया है तथा प्रति... ... की हैसियत से उक्त सम्पत्ति पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

काविज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की उक्त सम्पत्ति बयाना से भरतपुर वाया झील का वाडा जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में कैलादेवी मन्दिर की ओर जाने वाली सडक के उत्तर दिशा में स्थित है जो मध्य सडक से 50 फीट से अधिक दूरी पर निर्मित है जबकि वादी की तथाकथित खातेदारी का विवादित खसरा संख्या 192/866 रकवा 0.11 हैक्टेयर उक्त सडक कैलादेवी के तरफ दक्षिण में स्थित है। वादी का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की सम्पत्ति से कोई लेना–देना नहीं है और नहीं उसका कभी कब्जा या खातेदारी ही रही है किन्तु वह झगडालू किस्म का व्यक्ति है तथा वनीयत बेईमानी उक्त सडक के उत्तर दिशा में स्थित फुटपाथ की जमीन पर नाजायज निर्माण कर हम प्रतिवादीगण के फ्रटेंज पर कब्जा कर हमारे आवागमन के अधिकार को वाधित व धूमिल करना चाहता है कि जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। जबकि हमारी खातेदारी की भूमि का अकृषि उपयोग हेतु कन्वर्जन कराकर हमने लगभग वीस वर्ष पूर्व निर्माण करा लिया है। इस स्थिति में यह वाद इस न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

जबाव अप्रार्थी/वादी ने दिनांक 05.12.2019 को पेश कर अंकित किया है कि आ.ख.नं. 192/866 का वादी/अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। मौके पर खाली पडी है उक्त खसरा नं. का भू–रूपान्तरण आज तक नहीं कराया है। वादी की उक्त आराजीयात झील चौराहा से तरफ पश्चिम रोड कैला देवी को जाने वाली के तरफ उत्तर आराजी 192/866 स्थित है। जबकि ख0नं0 191 स्कूल वाउण्ड्री से लगा हुआ है। आराजी खसरा नं. 192/866 सडक कैला देवी झील वाडा के तरफ उत्तर वादी की खातेदारी की आराजी है आज भी मौके पर काबिज है। प्रतिवादी ने कैलादेवी सडक के तरफ दक्षिण 192/866 को गलत लिखा है। मौके आज भी कैलादेवी झील का बाडा सडक के तरफ उत्तर वादी द्वारा रोड से 50 फुट छोडकर दुकान का निर्माण किया है। जो अर्धनिर्मित है। दक्षिण में 192/866 रकवा स्थित नहीं है वादी के खिलाफ उक्त कन्वर्जन के आदेष को लेकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बयाना में कर रखा है। कन्वर्जन के आदेश खसरा नं. 191 की आड में खसरा नं. 192/866 हडपना चाहते हैं। कन्वर्जन आदेश गलत व मौके के विपरीत है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/प्रति.(1 व 3) का कथन है कि विवादित आराजी में आज मकानियत निर्माण हो चुका है विवादित आराजी कृषि उपयोग में काम नहीं आ रही है। दुकानें बनी हुई है। विवादित आराजी आबादी के रूप में काम आ रही है। वादी द्वारा यह दावा गलत पेश किया है राजस्व न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार नहीं है। चूँकि विवादित आराजी अब कृषि भूमि रही ही नहीं। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि स्वयं वादी/अप्रार्थी ने भी इस ख.न. को आवादी में माना है। मा0 सिविल न्यायाधीश बयाना में विचाराधीन दावा महेन्द्र कुमार तिवारी बनाम रामदयाल (दावा स्थाई निषेधाज्ञा व मेन्डेटरी इंजक्शन) में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत जबाव व नक्शा का अवलोकन करायें। उक्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/वादी का तर्क है कि प्रतिवादीगण वादी की आ.ख.न. 192/866 को हडपना चाहते है विवादित आराजी मौके पर आज [illegible] पडी है।राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। जो वादी/ अप्रार्थी [illegible] 191 की आड में प्रतिवादीगण उक्त आराजी को हडपना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरांत पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 अनुसार विवादित आराजी वादी/ अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज अभिलेख है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बयाना में विचाराधीन वाद महेन्द्र कुमार तिवारी बनाम रामदयाल में प्रस्तुत जबाब में वादी/अप्रार्थी रामदयाल ने ख.नं. 192/866 में दुकानों का निर्मित होना अंकित किया है जबाब के साथ संलग्न नक्शे में भी ख.नं. 192/866 में दुकानों का बना होना व कुछ जमीन खाली होना अंकित किया है। ख. नं. 191/0.14 में से तहसीलदार बयाना 336 व0मीटर भूमि का आवासीय भूमि रूपान्तरण आदेश जारी हुआ है। छायाप्रति संलग्न है। जो ख.नं. 192/866 से लगा हुआ है। स्वयं रामदयाल वादी ने अपने जबाब में ख.न. 192/866 में दुकानें निर्मित होना अंकित किया है। अर्थात यह सिद्ध है कि विवादित आराजी वर्तमान में कृषि भूमि के उपयोग में नहीं आकर आबादी के रूप में आ रही है। आबादी भूमि के विवाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 26.12.2018 स्वीकार किया जाता है। दावा वादी विधि से वाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील दाखिल दफ़तर हो निर्णय आज दिनांक 08.05.21को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील आर्य
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
बयाना (भरतपुर)
उपखण्ड अधिकरी बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.05.07 13:24:59 IST
Reason: SelfAttested